RAJYA SABHA

Friday, the 17th March, 1961/the 26th Phalguna, 1882 (Safca).

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPROPRIATION ACCOUNTS AND BLOCK ACCOUNTS OF RAILWAYS AND APPROPRIATION ACCOUNTS (POSTS AND TELEGRAPHS) FOR 1959-60 AND RELATED PAPERS

THE MINISTER OF REVENUE AND CIVIL EXPENDITURE (DR. B. GOPALA REDDI) : Sir, I beg to lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy each of the following papers: —

I. (i; Appropriation Accounts of Railways in India for 1959-60 (Parts I and II). [Placed in Library. *See* No. LT-2744/61 and No. LT-2745/61 for Parts I and II respectively.]

(ii) Block Accounts (including Capital Statements comprising the Loan Accounts), Balance Sheets and Profit and Loss Accounts of Indian Government Railways, 1959-60. [Placed in Library. *See* No. LT-2746/61.]

(iii) Audit Report, Railways, 1961. [Placed in Library. See No. LT-2743/61.]

II. Appropriation Accounts (Posts and Telegraphs) 1959-60 and the Audit Report, 1961, thereon. [Placed in Library. *See* No. LT-2742/61.]

RESOLUT-ON *RE* PROHIBITION OF MARRIAGES WHERE THE DIFFERENCE BETWEEN THE AGES OF THE SPOUSES IS MORE THAN FIFTEEN YEARS—*continued.*

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल (उत्तर प्रदेश) : श्रद्धेय सभापति जी, अभी पन्द्रह बीस दिन पहले इस प्रस्ताव को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते हुये मैंने निवेदन किया था कि स्वतंत्र होने के पश्चात् हमने देखा कि हमारा समाज अनेकों व्याधियों से ग्रस्त है और हमने यह भी देखा कि हमारी वे व्याधियां, वे कुप्रथायें हमारे समाज की प्रगति में बाधक बनी हुई हैं। हमने निश्चय किया कि हम उन सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करें और अपनी सामाजिक क्रांति के लियें समाज-सुधार के अनेकों कानून लायें। पिछले दस बारह साल में इस प्रतिष्ठित सदन ने ही कितने ही सामाजिक सुधार के कानूनों पर अपनी मोहर लगाई है। लेकिन उन प्रयत्नों के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में कितनी ही भयंकर कुप्रथाएं मौजूद हैं। उनमें से दहेज और अनमेल विवाह या असमान विवाह, ये दो प्रथाएं इतनी घातक हैं कि आज इनसे समाज की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। दहेज के लिये विधान हम बना ही रहे हैं लेकिन अनमेल और असमान विवाह जो है वह भी समाज की प्रगति के लिये, समाज की उन्नति के लिये इतना ही घातक है जितना कि दहेज और आज अनमेल विवाह के कारण अपने समाज का शुभ्र मस्तिष्क कलंकित होता है। आज इसीलियें मैंने यह आवश्यक समझा कि मैं अपने इस प्रस्ताव के द्वारा इस अनमेल विवाह की कुप्रथा के प्रति इस सदन का ध्यान आकर्षित करूं।

मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि अनमेल विवाह पर वैधानिक रोक लगनी चाहिये। मैं चाहती हूं कि विवाह के लिये उद्यत पुरुष और स्त्री आयु में यदि पन्द्रह साल से अधिक का अन्तर हो तो इस प्रकार के विवाह को